

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

सं0 सं0-3 / स्था0 ८८८८(४५८)-०३/२०१५-

(3) / रा०, पटना-१५, दिनांक-

/ ०३ / २०१५

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय :-

विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने हेतु बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि में से अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा अधियाचित राशि ₹ 27,92,950.00 में से कुल ₹ 23,61,085.00 (तेइस लाख इक्सठ हजार पचासी) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

2. विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा विपत्र कोड-P2029000010103 विषय शीर्ष-2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत ₹ 49.00 लाख (उन्चास लाख) का उपबंध प्राप्त है।

3. अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा उनके पत्रांक-ए०एन०एस०/डी०आई०आर०/२३३/२०१५, दिनांक-१६.०१.२०१५ द्वारा बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण हेतु प्रति समूह कुल ₹ 2,79,295.00 (दो लाख उनासी हजार दो सौ पन्चाशवे) की दर से 10 कार्यशालाओं के आयोजन हेतु कुल ₹ 27,92,950.00 (सताइस लाख बेरानवे हजार नौ सौ पचास) की अधियाचना की गयी है। अधियाचित राशि में से स्वीकृत्यादेश सं0-3 / स्था० विविध (क्षमता)-०३ / २०१५-१६८ (3) / रा०, दिनांक-१२ / ०३ / २०१५ द्वारा ₹ 4,31,865.00 (चार लाख इकतीस हजार आठ सौ पैसठ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

4. अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना (A N Sinha Institute of Social Studies, Patna) द्वारा अधियाचित राशि कुल ₹ 27,92,950.00 (सताइस लाख बेरानवे हजार नौ सौ पचास) के विरुद्ध कुल ₹ 23,61,085.00 (तेइस लाख इक्सठ हजार पचासी) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस राशि की निकासी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक झापट के माध्यम से अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना (A N Sinha Institute of Social Studies, Patna) को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष 2029–भू–राजस्व उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष–0103 विभाग के मुख्यालय एवं कार्यालय का आधुनिकीकरण विपत्र कोड–P2029000010103 विषय शीर्ष–2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा राशि उपयोगिता प्रमाण एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(व्यास जी),

प्रधान सचिव

झापांक–3/स्थान/प्रतिलिपि/प्रधान सचिव  
ज्ञापांक–3/स्थान/प्रतिलिपि/प्रधान सचिव  
प्रतिलिपि :—निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को उनके पत्रांक—ए0एन0एस0/डी0आई0आर0/233/2015, दिनांक—16.01.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/2015

(व्यास जी),

प्रधान सचिव